



फर्द अहकाम


कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

सोहन लाल विपक्षी दोली काई
मुकदमा 53 RTA पत्रावली संख्या 41/21 सन

F कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

14/10/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप सोहन लाल
के लिये मौका चाहते है। अतः स्वतः वादी की गति पर
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 18/11/25
कोपेश हो।

(SDO) मावली

18/11/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप सोहन लाल
के लिये मौका चाहते है। अतः अतिरिक्त स्वतः वादी की गति पर
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 22/12/25
कोपेश हो।

(SDO) मावली

22/12/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप सोहन लाल
के लिये मौका चाहते है। अतः अतिरिक्त
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 09/02/26
कोपेश हो।

(SDO) मावली

09/02/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार भागजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल छुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

